



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./2025/ 3679  
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 07.08.2025

महाप्रबंधक,  
एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र  
जिला कोरबा (छ.ग.)

संशोधित

- विषय : Submission of the wildlife Management Plan for Small Cats with respect to SECL Kusmunda OCP, Proposal No. FP/CG/MIN/41604/2019
- संदर्भ : 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ का आदेश क्र/व.प्रा./प्रबंध-619/175 दिनांक 04.08.2025  
2. काया. पत्र क्र./तक.अधि./3265 दिनांक 30.06.2025

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा कुसमुण्डा ओपन कारस्ट परियोजना रकबा 43.942 हे. हेतु Wildlife Mangement Plan for Small Cats in Kusmunda OCP Expansion Project, State Forest Research and Training Instiute (SFRTI) हेतु योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

उक्त Wildlife Mangement Plan for Small Cats in Kusmunda OCP Expansion Project, हेतु योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित राशि रु. 511.50 (पांच करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) का ई-चालान जनरेट कर राशि कैम्पा खाते जमा कर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

क्रमांक/तक.अधि./2025/ 3680  
प्रतिलिपि:

वनमण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा  
कटघोरा, दिनांक 07.08.2025

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा



आदेश द्वारा श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(वन्यजीवन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़  
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

✉ cwlvwg@gmail.com,

☎0771-2512880

// आदेश //

आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-619/175

नवा रायपुर, दिनांक 04/08/2025

मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय बिलासपुर के पत्र क्र./तक./1998 दिनांक 09.07.2025 द्वारा महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा कुसमुण्डा खुली खदान परियोजना रकबा 43.942 हे. हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिवीजन नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-08/2018-FC(pt) दिनांक 12.02.2024 में अधिरोपित शर्त क. 05 के परिपालन में छोटी बिल्ली प्रजाति के लिए वन्यप्राणी प्रबंधन योजना (Wildlife Management Plan for Small Cats in Kusmunda OCP Expansion Project) राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से तैयार कराकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त छोटी बिल्ली प्रजाति के लिए वन्यप्राणी प्रबंधन योजना वनमण्डलाधिकारी कटघोरा द्वारा परीक्षित एवं मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्तुत छोटी बिल्ली प्रजाति के लिए वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का परीक्षण किया गया। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत वन्यप्राणी संरक्षण योजना का परीक्षण पश्चात अन्य घटकों को समाहित करते हुए कुल 10 वर्षों में घटकवार राशि का उपयोग करते हुए वर्षवार आबंटन किया जाता है। अनुमोदित योजना में विभिन्न घटकों में राशि रु. 511.50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

S. No.	Project Components	Quantity of Works	1st yr	2nd yr	3rd yr	4th yr	5th yr	6th yr	7th yr	8th yr	9th yr	10th yr	Financial Cost (Rs. in Lakh)
1	Study of Small cats in the Korba, Katghora, Janjir-champa divisions & adjoining area for identifying the presence of small cat species, areas with their specific presence, population trends, small cat ecology, their threats such as habitat loss, illegal wildlife trade, Human-Wildlife conflict and preybase loss. The output of the study would contain the map showing the presence of small cats species wise, type of habitats measures to be undertaken location wise, prey base improvement activities, corridor development, human wildlife conflict, institutional and legal framework for their protection and hunting.	LS	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00
2	Habitat Development including corridor development, Soil and water conservation, Construction of water bodies, plantations	As per study report in S.No. 1	20.0	20.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	80.00

3	Maintenance work of habitat development areas.	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	50.00
4	Protection of Small Cats Conservation Areas (Protection by fencing/fire protection/ protection by watch & ward / intelligence gathering with regard to sighting of small cats/prevention of poaching/ patrolling by field staffs)	As per study report in S.No. 1 and based on local requirement	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	75.00
5	Maintenance of conservation areas of small cats as per s.n.4	LS	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	25.00
6	Monitoring and Evaluation on the impact of ongoing works w.r.t. population of small cat and their ecology.	LS	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	25.00
7	Mobile Clinic vehicle with medical care	1	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
8	POL & Maintenance	-	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	50.00
9	Research & Hiring of Experts.	LS	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	50.00
10	Misc. Expenditure	LS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00
	<b>Total</b>		<b>55.0</b>	<b>51.0</b>	<b>51.0</b>	<b>61.0</b>	<b>41.0</b>	<b>26.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>465.0</b>
	10% Escalation		5.5	5.1	5.1	6.1	4.1	2.6	2.0	2.0	1.0	1.0	46.5
	<b>Grand Total</b>		<b>60.5</b>	<b>56.1</b>	<b>56.1</b>	<b>67.1</b>	<b>45.1</b>	<b>28.6</b>	<b>22.0</b>	<b>22.0</b>	<b>11.0</b>	<b>11.0</b>	<b>511.5</b>

**Note :**

- Above are the indicative activities. Actual activities and the financial outlay may vary after getting study report mentioned in s.l. no. 1
- Activities other than site specific activities, may be decided by CWLW as per the state level wildlife development plan and may be implemented any where in the state.

उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना की कुल लागत राशि रूपये 511.50 लाख वर्तमान दरों पर है। परियोजना में देरी होने से समय लागत बढ़ेगी, जिसमें प्राईस इन्डेक्स के हिसाब से वृद्धि होगी। परियोजना के क्रियान्वयन के समय जो भी लागत आयेगी वह प्रस्तावकों को वन विभाग में एकमुश्त जमा करानी होगी, जिससे मूल्य वृद्धि के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। वन विभाग इस प्रकार जमा की गई राशि से वन्यप्राणी संरक्षण योजना में दर्शाये समय सारणी के अनुसार क्रियान्वित करेगा।

अनुमोदित वन्यप्राणी योजना में दर्शाये गये उपरोक्त घटकों के संगत फील्ड में किये जाने वाले कार्यों का कार्यवार/स्थलवार प्रोजेक्ट संबंधित वनमण्डलाधिकारी के द्वारा तत्समय प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धांतों (व्यय नार्मस, कार्य की प्रकृति, वन्यप्राणी प्रबंधन के संबंध में लागू होने वाले अन्य तकनीकी तथ्यों व निर्देशों) के अनुरूप तैयार कर सक्षमतानुसार तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन हेतु अनुशंसा सहित संबंधित मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी को प्रेषित किया जावेगा। संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रोजेक्ट की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन की अनुशंसा के साथ मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जावेगा। प्रोजेक्ट का परीक्षण वन्यप्राणी प्रबंधन की उपयुक्तता की दृष्टि से किया जाकर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के द्वारा कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा के साथ प्रोजेक्ट, प्रशासकीय स्वीकृति/बजट आवंटन करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के पश्चात ही कार्यों का क्रियान्वयन व.मं.अ. द्वारा किया जावेगा।

वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ.ग. द्वारा किया जावेगा। किये जा रहे कार्यों की भौतिक व आर्थिक प्रगति से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रतिमाह व.मं.अ. द्वारा अवगत कराया जावेगा। आवेदक संस्थान वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कुल राशि रूपये 511.50 लाख (रूपये पांच करोड़ न्याारह लाख पचास हजार मात्र) एकमुश्त जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(सुधीर कुमार अग्रवाल)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं  
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-619/3565

नवा रायपुर, दिनांक 04/08/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। कृपया अनुमोदित राशि आवेदक संस्थान से एकमुश्त जमा कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, विलासपुर वृत्त बिलासपुर ।
3. वनमंडलाधिकारी, कटघोरा, छत्तीसगढ़ ।
4. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं  
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़